सं0 11034/15/2015-रा.भा. (नीति)

राजभाषा विभाग

पत्रिका अनुभाग

दिनांक : 26 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञापन

विषय : हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा का आयोजन।

सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में हर वर्ष सितम्बर माह में "हिंदी पखवाड़ा" आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्न दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है :

(क) हिंदी पखवाड़ा आरंभ होने के पूर्व मंत्रालय/विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में किए गए कार्यों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए;

(ख) हिंदी पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ-ही-साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों;

(ग) आई.टी. क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं में कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए;

(घ) हिंदी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु मुख्य समारोह 14 सितंबर को ही आयोजित किया जाए;

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी माननीय गृह मंत्री जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए, और उसकी प्रति सभी मंत्रालयों/विभागों/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को भिजवाई जाए;

(च) इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को "राजभाषा विशेषांक" के रूप में प्रकाशित किया जाए;

(छ) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए, इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए;

(ज) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने के बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाएं और इन कार्यक्रमों में वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए;

(झ) उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिंदी पखवाड़ा" मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाए; और

(ञ) पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदन से किया जाए।

इसे सचिव (रा.भा.) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

प्रति - आवश्यक कार्रवाई हेतु:

i. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग/संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक कार्रवाई हेतु।
ii. निदेशक (कार्यान्वयन/तकनीकी) राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली को इस संबंध में जारी किए परिपत्र/कार्यालय ज्ञापन में उपर्युक्त दिशा-निर्देश को सम्मिलित करने के लिए।
iii. निदेशक (तकनीकी) एन. आई.सी., राजभाषा विभाग, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इस कार्यालय ज्ञापन को राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का कष्ट करें।